



बिहार सरकार

# बिहार सरकार के 7 निश्चय में एक “आर्थिक हल, युवाओं को बल” के अन्तर्गत बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना | मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना | कुशल युवा कार्यक्रम के तहत आवेदन करने की ऑनलाईन प्रक्रिया :-

## ऑनलाईन आवेदन हेतु वेब पोर्टल पर निबंधन की प्रक्रिया

- |                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (1) वेब पोर्टल <a href="http://www.7nishchay-yuvaupmission.bihar.gov.in">www.7nishchay-yuvaupmission.bihar.gov.in</a> पर जायें। | (7) योजना का चयन करें तथा <b>Submit</b> पर <b>Click</b> करें।                                                                                                                     |
| (2) <b>New Applicant Registration</b> को <b>Click</b> करें।                                                                     | (8) दर्ज मोबाईल नं0 एवं <b>E-mail ID</b> पर <b>User ID</b> एवं <b>Password</b> प्राप्त होगा।                                                                                      |
| (3) अपना नाम, मोबाईल नं0, <b>E-mail ID</b> एवं आधार नम्बर को दर्ज करें।                                                         | (9) प्राप्त <b>User ID</b> एवं <b>Password</b> का उपयोग कर वेब पोर्टल पर लॉग-इन करें।                                                                                             |
| (4) <b>Send OTP</b> पर <b>Click</b> करें।                                                                                       | (10) <b>Password</b> बदलने के विकल्प के साथ नया पेज खुलेगा। इसमें वर्तमान <b>Password</b> तथा नया <b>Password</b> (आप स्वयं चयन करें) दर्ज कर <b>Submit</b> पर <b>Click</b> करें। |
| (5) दर्ज मोबाईल नं0 एवं <b>E-mail ID</b> पर अलग-अलग <b>OTP</b> प्राप्त होगा।                                                    |                                                                                                                                                                                   |
| (6) मोबाईल नं0 और <b>E-mail ID</b> पर प्राप्त दोनों <b>OTP</b> दर्ज करें।                                                       |                                                                                                                                                                                   |

### निबंधन की प्रक्रिया पूर्ण हुई

अब आप तत्काल या बाद में कभी भी इस **User ID** एवं नये **Password** से लॉग-इन कर ऑनलाईन आवेदन कर सकते हैं।

## ऑनलाईन आवेदन करने की प्रक्रिया

- |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (1) वेब पोर्टल <a href="http://www.7nishchay-yuvaupmission.bihar.gov.in">www.7nishchay-yuvaupmission.bihar.gov.in</a> पर जायें।                                                     | (5) प्रत्येक घोषणा के विरुद्ध बने बॉक्स को <b>Tick</b> करें तथा <b>Preview</b> पर <b>Click</b> करें। भरे हुए फॉर्म का <b>Preview</b> देखने के बाद <b>Preview Page</b> को <b>Close</b> करें और <b>Submit</b> पर <b>Click</b> करें। |
| (2) अपने <b>User ID</b> एवं <b>Password</b> का उपयोग कर लॉग-इन करें।                                                                                                                | (6) आवेदन की पावती <b>Unique User ID</b> के साथ मोबाईल नं0 तथा <b>E-mail ID</b> पर प्राप्त होगी तथा आवेदन की <b>PDF</b> प्रति भी <b>E-mail ID</b> पर प्राप्त होगी।                                                                |
| (3) प्रदर्शित पेज पर व्यक्तिगत सूचना दर्ज कर <b>Save as draft</b> पर <b>Click</b> करें, फिर <b>Submit</b> पर <b>Click</b> करें। <b>Confirm</b> हेतु <b>Ok</b> पर <b>Click</b> करें। |                                                                                                                                                                                                                                   |
| (4) प्रदर्शित पेज में योजना का लाभ लेने हेतु वांछित सूचनाएँ दर्ज करें।                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                   |

### ऑनलाईन आवेदन की प्रक्रिया पूर्ण हुई

**Online** आवेदन के बाद चयनित जिले के जिला निबंधन एवं परामर्श केन्द्र (**DRCC**) पर किसी भी कार्य दिवस को आकर कागजातों का सत्यापन करा सकते हैं।

## जिला निबंधन एवं परामर्श केन्द्र पर आने से पूर्व

- |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (1) अपने <b>E-mail</b> से अथवा वेब पोर्टल पर अपने <b>User ID</b> एवं <b>Password</b> से <b>Login</b> कर आवेदन की <b>PDF</b> प्रति डाउनलोड करें। | (4) कागजातों की छायाप्रति को स्व-अभिप्रमाणित करें।                                                                                                                                                             |
| (2) <b>PDF</b> प्रति में निर्धारित स्थान पर फोटो चिपकायें एवं आवेदन को हस्ताक्षरित करें।                                                        | (5) फोटोयुक्त हस्ताक्षरित आवेदन की <b>PDF</b> प्रति, सभी मूल कागजात तथा सभी कागजातों की स्वअभिप्रमाणित छायाप्रति के साथ अपने जिले के जिला निबंधन एवं परामर्श केन्द्र पर जाकर अपने कागजातों का सत्यापन करा लें। |
| (3) आवेदन की <b>PDF</b> प्रति में वर्णित वांछित कागजातों के अनुसार उसकी मूल प्रति एकत्र कर लें तथा पूरे सेट की एक छायाप्रति भी तैयार करें।      | (6) कागजातों के सत्यापन के पश्चात् इसकी मूल प्रति वापस कर दी जाएगी तथा सत्यापन एवं निबंधन संबंधी पावती रसीद आपको प्राप्त होगा।                                                                                 |

## निबंधन एवं आवेदन करते समय बरती जाने वाली सावधानियाँ

- |                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (1) वेब पोर्टल पर अपना वही नाम दर्ज करें जो मैट्रिक (10वीं कक्षा) के प्रमाण-पत्र में अंकित है।                            | (4) अपना यूनिक आई0डी0 नंबर याद रखें ताकि भविष्य में उसका उपयोग कर आपके द्वारा आवेदन के स्थिति की जानकारी प्राप्त की जा सके।                                                                                       |
| (2) ऑनलाईन आवेदन करने से पूर्व आवेदन प्रपत्र की हार्ड कॉपी पर सभी सूचनाओं को भर कर रख लें ताकि ऑनलाईन फार्म भरना आसान हो। | (5) <b>Submit</b> बटन दबाने के पूर्व <b>save as draft</b> का बटन दबाकर दर्ज सूचनाओं को जाँच लें क्योंकि <b>Submit</b> बटन दबाने के बाद दर्ज व्यक्तिगत एवं वांछित सूचनाओं में किसी प्रकार का संशोधन नहीं हो सकेगा। |
| (3) व्यक्तिगत सूचना प्रपत्र में सही तथ्य भरें। गलत सूचना दर्ज करने पर कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है।                      | (6) पूर्ण रूप से संतुष्ट होने पर ही <b>Submit</b> बटन दबायें।                                                                                                                                                     |

## सुगमतापूर्वक Online आवेदन हेतु

- अपना आधार कार्ड एवं आवासीय प्रमाण-पत्र बनवा लें।
- किसी अनुसूचित बैंक में अपना खाता खुलवा लें।
- अपना ई-मेल आई0डी0 बनवा लें।
- बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के लिए अभिभावक/सह-अभिभावक का आधार कार्ड एवं ई-मेल आई0डी0 बनवा लें।

इन योजनाओं के संबंध में किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए

**Toll Free No. : 18003456444 पर सम्पर्क करें।**

सभी जिला निबंधन एवं परामर्श केन्द्र पर Online आवेदन करने की निःशुल्क सुविधा उपलब्ध है।